न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I,** (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– **64/2021** GCMS 2025/131

प्रार्थीगण :–

1. ललित खोखर पुत्र बलदेवाराम जाति जाट ग्राम शिवदानपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी :–

2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि दुरस्ती बाबत् अन्तर्गत धारा 136, 121 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

राजपैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 03/04/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र का का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा कस्बा कुचामन सिटी पटवार हल्का कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी के गत खसरा नम्बर 25 मी रकबा 11 बीघा 3 बीस्वा में से वर्तमान खसरा नम्बर 113 कुल रकबा 0.1500 हैक्टयर की कृषि भूमि कब्जासुदा, खरीदसुदा कृषि भूमि स्थित चली आ रही है। प्रार्थना–पत्र के साथ जमांबदी व नक्शा ट्रेस संलग्न है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि पर मैं निर्विवाद रूप से काश्त करता आ रहा है तथा सुविधा अनुसार उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं तथा मेरी कृषि भूमि के चारों ओर सींव सींव कायम कर काश्त करता आ रहा हूं। उपरोक्त खसरा नम्बर में द्वितीय भू–प्रबंधक कार्यवाही में कर्मचारियों द्वारा किस्म बारानी 2 के स्थान पर किस्म गै.मु. मंदिर दर्ज कर दिया है। जबकि मौके पर कभी भी मंदिर नहीं रहा है और न ही आज दिन मंदिर है। उक्त कृषि भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:50:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

काश्त करता आ रहा हूं। भू-प्रबंधक कर्मचारियों की गलती से किस्म बरानी 2 के स्थान पर किस्म गै.मु. मंदिर दर्ज कर दिया है। जो की शुद्धि कराने का अधिकारी है। उपरोक्त खसरा नम्बर में भू-प्रबंधक कर्मचारियों को किस्म में परिवर्तन कराने का अधिकर प्राप्त नहीं है केवल मात्र भू-प्रबंधक कर्मचारियों की गलती से किस्म परिर्वतन हुई है। जिसको शुद्धि कराने हेतु प्रार्थना-पत्र देना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रथम भू-प्रबंधक कार्यवाही में किस्म बारानी 2 दर्ज है। प्रथम बंदोबस्त प्रार्थना पत्र के साथ नकल संलग्न है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थी की कृषि भूमि में किस्म बारानी 2 के स्थान पर किस्म गै.मु. मंदिर दर्ज होने के कारण प्रार्थी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की भूमि में किस्म बारानी 2 दर्ज करने के आदेश फमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में ग्राम कुचामन सिटी के खाता संख्या 1312 की नकल जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077, नकल मिलान खसरा, नकल खतौनी बंदौबस्त संवत् 2008 की नकल प्रस्तुत की है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राज. पैरोकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खसरा मिलान के अनुसार कुचामन सिटी के गत खसरा नम्बर 25 मीन से ही नवीन खसरा नम्बर 113 रकबा 0.15 हैक्टयर कायम हुए है तथा नकल खतौनी बंदौबस्त संवत् 2008 के खाता संख्या 71 की नकल के अनुसार गत खसरा नम्बर 25 रकबा 11 बिघा 3 बिस्वा की किस्म बारानी दोयम माईनस दर्ज है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 113 रकबा 0.15 हैक्टयर किस्म गै.मु. मंदिर है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में भू-अभिलेखीय गलतियों का शुद्धिकरण के संबंध में प्रावधान है कि *भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों [illegible] विहित रीती से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:50:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
कुचामन सिटी (डीडवाना कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें :

परंतु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जाएगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो"

पीठासीन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर जोत की गई बारानी भूमि उपलब्ध मिली। वादग्रस्त भूमि में मंदिर स्थित नही है और ना ही मौके पर मंदिर के किसी प्रकार के निशानात है। जिससे प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि पर कभी मंदिर स्थित नहीं रहा है। हितबद्ध पक्षकार ने उक्त त्रुटि को स्वीकार किया है। भू–प्रबंधकीय संक्रियाओं के दौरान त्रुटिवश खसरा नम्बर 113 रकबा 0.1500 की किस्म गै.मु. मंदिर दर्ज कर दी गई है। जिसको शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निम्नानुसार आदेश दिये जाते है :–

–: आदेश :–

कस्बा कुचामन सिटी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.1500 की किस्म गै.मु. मंदिर के स्थान पर प्रथम सेटलमेंट के समय दर्ज किस्म पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:50:42 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)